कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ

दूरभाषः **0522–2204295, 2205310**, फैक्सः **0522–2204163**

टोल फ्री नम्बर **1800–121–3203**

Website: https://www.upcane.gov.in / E-mail: upcdrs@gmail.com

Facebook: https:/www.facebook.com/upcane

Twitter: https://www.twitter.com/canewebsite

Youtube: https://www.youtube.com/channel/ucewkr8bagsaawmex09fjong

प्रेस नोट

- **वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना विकास विभाग द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाहियों से गन्ना घटतौली पर लगी रोक, गन्ना माफियाओं पर लगा अंकुश।**
- **पेराई सत्र में गन्ना कयकेन्द्रों के कुल 19800 निरीक्षण किये गये, 151 गंभीर अनियमितताएं तथा 1316 सामान्य अनियमितताएं पकड़ी गयी।**
- **गन्ना घटतौली के 15 प्रकरणों पर कराई गई एफ.आई.आर., 171 तौल लिपिकों के निलंबित किये गये लाइसेंस।**
- **अवैध गन्ना खरीद में गन्ना माफियाओं पर कराई गई 28 एफ.आई.आर., रू 17.72 लाख मूल्य का 5904.92 कुंटल गन्ना किया गया जब्त।**

लखनऊः 10 मई, 2018

प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र 2017–18 मे विभाग द्वारा गन्ना घटतौली रोकने व गन्ना माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिये लगातार अभियान संचालित किये गये जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न अधिकारियों एवं गठित जॉच दल द्वारा गन्ना क्रय केन्द्रों के कुल 19,800 निरीक्षण किये गये। निरीक्षण में 151 गंभीर किस्म की व 1316 सामान्य प्रकृति की अनियतिताएं पकड़ी गई जिन पर प्रभावी कार्यवाही कराते हुए 171 तौल लिपिकों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। 15 प्रकरणों में संबंधित के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई है।

श्री भूसरेड्डी ने यह भी बताया कि गन्ना माफियाओं द्वारा की जा रही गन्ने की अवैध खरीद की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही कराई गई। माफियाओं के विरूद्ध 28 एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई तथा 5904.92 कुंटल गन्ना भी जब्त किया गया है जिसका मूल्य रू0 17. 72 लाख है।

Scanned by CamScanner